तलाश या मुआयना आम की दरख्वास्त

दफ्तर.....

1- दरख्वास्त की तारीख .....

2- नाम व पूरा पता .....

3- क्या दरख्वास्त वाला चाहता है कि नतीजे की सूचना या बार का सार्टिफिकेट उसके पास डाक द्वारा भेजा जाय या वह स्वयं हाजिर होगा या किसी आदमी के मारफत लेगा जिसको उसने खुद नामजद किया हो.....

4- नं० मुकदमा, अदालत का नाम और मुकदमे से फरीकैन सहित जरूरत के समय लिया जाय.....

5- साल जिसका रजिस्ट्री में मुआयना या तलाश किया जायेगा ।

6- उन लिखितम की दशा में जो बही नं० 3 या 4 में दर्ज है ब्योरा इस बात का मुआयना या तलाश करने का हक रखता है.....

जायदाद या जायदादों का ब्योरा	मालिक माल या मालकिन मुस्तरका का नाम	कैफियत

तसदीक की जाती है कि उपरोक्त ब्योरा जहाँ तक मेरी समझ में सही व दुरुस्त है।

नोट:—हर जायदाद की बाबत फीस अलग होगी।

दरख्वास्त करने वाले के हस्ताक्षर

नोट:- हर जायदाद की बाबत फीस अलग होगी अगर लिखितम एक ही शख्स को तकमील की हुई न हो या एक ही शख्स में न गई हो । अन्तिम दशा में ऐसे शख्स का नाम व उसका सम्बन्ध लिखितम से जाहिर करना होगा ।